झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

::अधिसूचना ::

राँची, दिनांक– 6 मार्च, 2012

अधि0 सं0–5/नि0–07–04/2011का0 2226/विभागीय अधिसूचना संख्या–4447 दिनांक–26.07.2010 द्वारा सचिवालय लिपिकों की भर्त्ती एवं सेवा–शर्त्त के लिए झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली–2010 का गठन किया गया है ।

2. नियमावली के नियम–5 में सेवा के अधिकृत बल के सम्बन्ध में यह अंकित किया गया है कि

"राज्य सरकार के सभी विभागों एवं संलग्न कार्यालयों में टंकक, विपत्र लिपिक, रोकड़पाल, लेखापाल एवं दिनचर्या लिपिक के पदों एवं सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में वेतनमान 4000–100–6000/– के कोई पद के अधिकृत बल का योग नियत तारीख के सेवा का अधिकृत बल होगा तत्पश्चात् कार्मिक, प्र0 सु0 तथा राजभाषा विभाग समय–समय पर सेवा के अधिकृत संख्या बल का निर्धारण करेगा ।

परन्तु प्रत्येक विभाग में नियत तारीख को टंकक, विपत्र लिपिक, रोकड़पाल, लेखापाल एवं दिनचर्या लिपिक के पदों एवं सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में वेतनमान 4000–100–6000/–(पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में प्रतिस्थानी पी0बी0–I रूपया 5200–20200, ग्रेड वेतन रू0–2400/–) के कोई पद के स्वीकृत बल का कम से कम पचास प्रतिशत पद निम्नवर्गीय लिपिक का पद तथा शेष पचास प्रतिशत पद उच्चवर्गीय लिपिक का पद समझा जायेगा, किन्तु नियत तारीख को यदि उच्चवर्गीय लिपिक संवर्ग में कार्यरत बल पचास प्रतिशत अधिक हो तो ऐसे पद तब तक उच्चवर्गीय लिपिक के पद समझे जायेगे जब तक कि उच्चवर्गीय लिपिक की अधिशेष संख्या के कर्मियों की सेवानिवृति या प्रोन्नति न हो जाय । सेवा के स्वीकृत बल के पचास प्रतिशत से कम होने तक उच्चवर्गीय लिपिक संवर्ग में प्रोन्नति नहीं दी जायेगी ।

3. उक्तानुसार सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग के कुल स्वीकृत बल/कार्यरत बल एवं रिक्ति की सूचना विभिन्न विभागों से प्राप्त की गयी । इसके अनुसार वर्त्तमान में सचिवालय के विभागों एवं संलग्न कार्यालयों में उपर्युक्त

कंडिका अन्तर्गत वर्णित वेतनमान के लिपिकीय स्तर के विभिन्न स्वीकृत पदों की संख्या–1048 होती है ।

4. तदनुसार झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली के नियम–5 परन्तुक के प्रावधानानुसार विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के विभिन्न ग्रेडों में अधिकृत संवर्ग बल निम्नवत निर्धारित किया जाता है:–

कम संख्या	पदों का नाम/वेतनमान	पदों की संख्या
1	निम्नवर्गीय लिपिक वेतनमान 5200–20200, ग्रेड पे–1900 बैण्ड– पी0 बी0–1	524
2	उच्चवर्गीय लिपिक वेतनमान 5200–20200, ग्रेड पे–2400 बैण्ड– पी0 बी0–1	524

आवश्यकतानुसार समय–समय पर पदों के सृजन एवं समाप्ति के आधार पर अधिकृत बल संशोधित समझे जायेगे ।

संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारी समय–समय पर आवश्यक समझे तो अस्थायी परिवर्तन कर सकते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

6/3/2012

(आदित्य स्वरूप)

सरकार के प्रधान सचिव ।

Niranjan-05-023-12